BHADOHI POLICE

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद भदोही **दिनांक-26.02.2025**

◆नाबालिग के साथ छेड़खानी करने व परिजन को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गुप्ता देने, मारने-पीटने व जान से मारने की धमकी देने के दो आरोपी गिरफ्तार

◆थाना चौरी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

दिनांक-26.02.2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना चौरी पर सूचना दिया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष के साथ आरोपी ने घर में घुसकर छेड़खानी किया तथा पुनः अपने भाई के साथ आकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गुप्ता दिया गया व मारपीट की गई व जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना पर तत्समय ही आरोपियों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-31/2025 धारा-74,333,115(2),352,351(2) बी.एन.एस. व 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट** का अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही प्रचलित की गई।

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा महिला सम्बन्धित अपराध में त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देश के क्रम में आज दिनांक-26.02.2025 को थाना चौरी पुलिस टीम द्वारा नाबालिग के साथ छेड़खानी करने, परिजन को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज देने, मारने-पीटने व धमकी देने के दोनों आरोपियों-शराफत अंसारी पुत्र रशीद अंसारी व सलामत पुत्र रशीद अंसारी निवासीगण ग्राम अर्जुनपुर गोहिलांव थाना चौरी जनपद भदोही को ममहर बाजार से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के उपरांत चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पुलिस द्वारा त्वरित वैज्ञानिक विवेचना तथा मा0 न्यायालय में शीघ्र ही गवाहों व साक्ष्य को उपस्थित कराकर प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपियों को अल्पसमय में दंडित कराया जाएगा।